हरिभूमि
कोरबा भूमि - Page 1
22 July 2025

निरुद्ध बंदियों को पेशी पर ले जाने वाहन व सुरक्षा के लिए होती थी परेशानी

जिला जेल में निरुद्ध कैदियों की सुरक्षा में नहीं होगी चूक, वीसी के माध्यम से हो रही है पेशी

हरिभूमि न्यूज ⏭ कोरबा

जिला जेल में निरुद्ध कैदियों को पेशी के लिए लव लस्कर के साथ न्यायालय ले जाना पड़ता था। जिसमें अक्सर कैदियों के भागने का खतरा रहता था या फिर किसी अनहोनी की आशंका रहती थी लेकिन अब जेल में निरुद्ध कैदियों को न्यायालय नहीं ले जाना पड़ेगा बल्कि जेल के भीतर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी पेशी हो सकेगी। इसके लिए शासन ने जेल प्रबंधन को आदेश जारी कर दिया है जिसके परिपालन में जेल प्रबंधन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी भी शुरू कर दी है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में विभिन्न अपराधों में शामिल कैदियों के जेल में निरुद्ध होने के दौरान उन्हें उनकी पेशी आने पर पुलिस प्रशासन के वाहन में चाक चौबंद्ध व्यवस्था सुरक्षा घेरे के दौरान उन्हें प्रतिदिन कैदियों को जिला जेल से जिला न्यायालय ले जाना पड़ता था। इस काम में सुबह से शाम का वक्त लग जाता था। इस दौरान बड़े पैमाने पर पुलिस के अधिकारी, कर्मचारियों को सुबह से शाम तक किसी काम में लगा रहना पड़ता था और कई बार मौके का फायदा उठाकर कैदी भागने में सफल भी हो जाते थे। जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बढ़ती समस्याओं को देखते हुए शासन ने अब जेल में निरुद्ध कैदियों को जेल के भीतर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में पेशी में उपस्थित होने का आदेश जारी कर दिया है। जिसके लिए जेल प्रबंधन ने जेल के भीतर ही कटघरा तैयार कराया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सारी तैयारी कराई गई है। आदेश जारी होते ही जेल में निरुद्ध कैदियों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में उनकी उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है और उनकी पेशी भी हो रही है।

वीसी सेंटर जहां से होती है कैदियों की पेशी।

एक साथ चार मामलों की हो रही है सुनवाई

जेलर विजयानंद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी की सुनवाई शुरू हो चुकी है। जिला जेल में चार मामलों की सुनवाई एक साथ हो रही है इसके लिए 4 अलग कटघरे व इलेक्ट्रानिक संसाधन तैयार किए गए हैं। इसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में लगातार तेजी आ रही है और मामले लगातार में बढ़ भी रहे हैं।

सुरक्षा व्यवस्था हुई पुख्ता

जेल में निरुद्ध कैदियों का वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में पेशी कराई जा रही है। इसके शुरु हो जाने से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हुई है। साथ ही सुनवाई में तेजी आयी है।

-विजयानंद सिंह, जेलर

क्या होगा फायदा

प्रायः यह देखने में आता है कि माननीय न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में अभियुक्तों एवं साक्षियों के परीक्षण हेतु उन्हें व्यक्तिगत रूप से आहूत किया जाता है। जेल से आरोपियों को न्यायालय में उपस्थित कराने की प्रक्रिया में अत्यधिक समय एवं बल की आवश्यकता होती है। कभी-कभी अभियुक्तों की सुरक्षा के लिए भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार चिकित्सक, बैंककर्मी एवं अन्य लोक सेवकों के न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से न सिर्फ उनका लोक कृत्य प्रभावित होता है बल्कि शासन पर उनके आवागमन के व्यय का अतिरिक्त भार भी पड़ता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में विहित प्रावधानों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभियुक्तों एवं साक्षियों की न्यायालय में श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों से उपस्थिति एवं परीक्षा सुनिश्चित किये जाने के संबंध में कार्यवाही किया जाना आवश्यक एवं वांछनीय है।